

संख्यांक 1

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास - जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 84 / 2019

दायरी दिनांक : 15.07.2019

उनवान

1. मंजू देवी पत्नि जगदीशचन्द्र जाति कंडारा निवासी लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़।

वादीया.....

बनाम

1. छीतर पिता हीरा जाति कंडारा निवासी लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. पोखर पिता हीरा जाति कंडारा निवासी लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. रामधन पिता हीरा जाति कंडारा निवासी लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. खेमी देवी पत्नि चुन्नीलाल जाति धाकड़ निवासी लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।
6. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लाडपुरा तहसील माण्डलगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रतिवादीगण.....

उपस्थित :-

1. श्री महेश चन्द्र सुखवाल (अधिवक्ता वादीया)।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:- निर्णय :-

निर्णय दिनांक: 03.01.2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 एकपक्षीय कार्यवाही होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की जाती है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम लाडपुरा पटवार हल्का लाडपुरा के आराजी संख्या 385 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि में निचे दि गई सारणी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। हर्जा खर्चा मुकद्मात फरिकेन अपना अपना वहन करें। पक्षकार द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश किया गया जो संलग्न है।

क्रस	नाम खातेदार	मौजा	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	मंजू देवी पत्नि जगदीशचन्द्र कंडारा सा. देह. खातेदार रहन BRKGB लाडपुरा	लाडपुरा	385 / 1	0.6353 है0	
	योग		किता 1	0.6353 है0	
2	खेमी देवी पत्नि चुन्नीलाल धाकड़ 19/37 सा. देह. छीतर पिता हीरा 6/37 कंडारा सा. देह. पोखर पिता हीरा 6/37 कंडारा सा. देह. रामधन पिता हीरा 6/37 कंडारा सा. देह. खतेदार	लाडपुरा	385	0.6354 है0	
	योग		किता 1	0.6354 है0	

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

आदेश आज दिनांक 03.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया।



जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगाढ़

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रुपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			2. अर्जी के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			3. प्लीडर की फीस		
4.			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
प्लीडर की फीस					
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			5. आदेशिका को तामील		
6. कमिश्नर की फीस			6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील					

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगाढ़